mail

महत्वपूर्ण/आवश्यक
संख्याः 49 /68-5-2020

प्रेषक

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊः दिनाँक 28 जनवरी, 2020

विषयः शैक्षिक सत्र 2020-21 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम 'शारदा' (SHARDA-स्कूल हर दिन आयें) संचालित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शैक्षिक सत्र 2019-20 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु शासनादेश सं0-37/68-5-2019, दिनांक 24-01-2019 द्वारा शारदा (SHARDA-हर दिन स्कूल आयें) संचालित करने के संबंध में आदेश निर्गत किये गये। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत 06-14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। अग्रेत्तर अधिनियम के अन्तर्गत यह भी अपेक्षा की गयी है कि 06-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जिन्हें किसी विद्यालय में नामांकित नहीं किया गया है अथवा नामांकन के उपरान्त वे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके हैं उनका चिन्हीकरण करते हुए उनका नामांकन आयुसंगत कक्षा में कराया जाये और अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु उन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाये।

अधिनियम के उक्त प्रावधान को प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0-37/68-5-2019, दिनांक 24-01-2019 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा जिलाधिकारी के निर्देशन में शैक्षिक सत्र 2020-21 में कार्यक्रम **'शारदा' (SHARDA-स्कूल हर दिन आयें)** संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आपको निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं:-

1. **लक्षित समूह :-**

'शारदा' (SHARDA-स्कूल हर दिन आयें) के अन्तर्गत जनपद में 5+-14 आयुवर्ग के समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चे लक्षित समूह हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चे 02 श्रेणी के हो सकते हैं:-

(1) ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में कभी भी नामांकन नहीं किया गया हो।

(2) ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में पूर्व में नामांकन हुआ था, किन्तु किन्हीं कारणवश अपनी शिक्षा पूरी किये बिना विद्यालय छोड़ दिये अर्थात् ड्राप आउट हो गये।

ड्राप आउट बच्चों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को निम्नवत् परिभाषित किया गया है:-

Scanned with CamScanner

"06 से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक बिना विद्यालय का माना जायेगा, यदि वह किसी प्रारम्भिक विद्यालय में कभी नामांकित न किया गया हो/की गयी हो अथवा यदि नामांकन के पश्चात् अनुपस्थित होने के कारणों की पूर्व सूचना के बिना विद्यालय से निरन्तर 45 दिन या उससे अधिक अवधि में अनुपस्थित रहा/रही हो।"

2. आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण, पंजीकरण, नामांकन एवं मूल्यांकन(एसेसमेन्ट):-

1. प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय से सेवित बस्तियों (कैचमेंट एरिया) में 5^{+}-14 आयु वर्ग के सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण, पंजीकरण अनिवार्यतः किया जायेगा। प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसे बच्चों का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि आदि का विवरण रखा जायेगा। पंजीकरण हेतु प्रारूप संलग्न है।(संलग्नक-1)
2. बच्चों के चिन्हीकरण,पंजीकरण एवं नामांकन का कार्य दो चरण में किया जायेगा-

   (अ)**प्रथम चरण** में बच्चों का चिन्हीकरण,पंजीकरण एवं नामांकन दिनाँक 01.02.2020 से 15.04.2020 तक किया जाये। पंजीकृत सभी बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में सुनिश्चित की जाये।

   (ब) **द्वितीय चरण** में बच्चों का चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन दिनाँक 21.05.2020 से 15.07.2020 तक किया जाये। पंजीकृत सभी बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में सुनिश्चित की जाये।
3. विद्यालय में नव नामांकित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का मूल्यांकन (एसेसमेन्ट) प्रधानाध्यापक/कक्षा अध्यापक द्वारा प्रथम चरण हेतु दिनाँक 21.04.2020 से 30.04.2020 की अवधि में तथा द्वितीय चरण हेतु दिनाँक 21.07.2020 से 31.07.2020 की अवधि में किया जाये और उनके ज्ञान के स्तर का निर्धारण कर लिया जाये ताकि उन्हें आयु संगत कक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके। यह कार्यक्रम प्रति वर्ष चलेगा।

3. नामांकन का लक्ष्य एवं रणनीतिः-

1- 5^{+}-14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण विद्यालय के प्रधानाध्यापकों / अध्यापकों शिक्षामित्रों / अनुदेशकों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से दो चरण में किया जायेगा।

- **प्रथम चरण** में सर्वे दिनाँक 01.02.2020 से 15.04.2020 की अवधि में किया जाये।
- **द्वितीय चरण** में सर्वे दिनाँक 21.05.2020 से 15.07.2020 की अवधि में सम्पन्न किया जाये।

सर्वे हेतु उक्त अवधि एक अभियान के रूप में कार्य करने के लिए निर्धारित की गयी है। यदि सर्वे में कतिपय बस्तियाँ अथवा घर आच्छादित नहीं हो सके हैं तो सर्वे का कार्य उक्त निर्धारित अवधि के बाद भी जारी रखा जाये ताकि सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करते हुए उनका पंजीकरण सुनिश्चित हो सके। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण हेतु किये जाने वाले सर्वे का प्रपत्र संलग्न है। (संलग्नक-2) एवं (संलग्नक-2ए)

2- प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय से सेवित बस्तियों (कैचमेन्ट एरिया) के घरों का आवंटन स्वयं को सम्मिलित करते हुए विद्यालय के समस्त स्टाफ के मध्य इस प्रकार किया जाये कि सर्वे में सभी बस्तियाँ/घर आच्छादित हो जायें।

Scanned with CamScanner

3- शहरी क्षेत्रों में सर्वे हेतु नगर निगम/नगर पालिका/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के अधिकारियों एवं जनपद में काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित कर असेवित बस्तियों की मैपिंग की जाये। असेवित बस्तियों की मैपिंग के पश्चात क्षेत्र का विभाजन इस प्रकार किया जाये कि सर्वे में सभी बस्तियाँ/घर आच्छादित हो जायें।

4- शहरी क्षेत्रों की असेवित बस्तियों, मार्केट क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, बस/टैक्सी स्टैंड, रेलवे ट्रैक के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ी, नाले/नदी के किनारे बनी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के चिन्हीकरण हेतु सर्वे में गैर-सरकारी संस्थाओं एवं अन्य संगठनों का सहयोग लिया जाये। (संलग्नक-3)।

5- जनपदों के डायट एवं समस्त निजी बी0टी0सी0 संस्थानों में बी0टी0सी0/डी0एल0एड0 में प्रशिक्षणरत प्रत्येक प्रशिक्षु को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे में सम्मलित किया जाये।

6- ईंट भट्ठे, कंस्ट्रक्शन साईट, खदानों में काम करने वाले मौसमी पलायन (Migration) से प्रभावित परिवारों के बच्चों का सर्वे पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण व श्रम विभाग के सहयोग से किया जाये (संलग्नक-4)।

7- प्रधानाध्यापक, एस०एम०सी० अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान का दयित्व होगा कि यदि कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित है परन्तु वह अपने माता-पिता के साथ अन्य स्थान पर पलायन करता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट (संलग्नक-5) उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे बच्चे को पलायन किए जाने/आने वाले स्थान के निकटतम विद्यालय में प्रमाण पत्र के आधार पर सम्बंधित कक्षा में नामांकित कर नियमित शिक्षा दी जाये।

8- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हीकरण भी हाउस होल्ड सर्वे के साथ किया जाये ताकि ऐसे विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के नामांकन एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इस सम्बन्ध में यूनीसेफ एवं आर0बी0एस0के0 के सहयोग दिव्यांगतावार चेक लिस्ट तैयार की गयी है, जिसके आधार पर अध्यापकों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे के दौरान ही इन बच्चों का भी चिन्हीकरण किया जाये। दिव्यांगतावार चेक संलग्न है।(संलग्नक-6)। इन बच्चों के नामांकन हेतु इटीनरेंट/रिसोर्स टीचर्स, फिजियोथेरेपिस्ट व जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) को दायित्व दिया जाये।

9- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ट्रैकिंग हेतु शासन स्तर से निर्गत आदेश समर्थ एप के माध्यम से की जायेगी ।

10- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित कारखानों, फैक्टरी, खादान आदि में कार्यरत बंधुआ मजदूरों एवं बालश्रमिकों की पहचान श्रम विभाग द्वारा की जाती है। ऐसे बालश्रमिक बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनसे सम्बन्धित सूचना उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त द्वारा सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पता/विवरण सहित उपलब्ध करायी जाये ताकि इनका नामांकन कराया जा सके।

11- विद्यालय परिसर में संचालित आंगनवाड़ी में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जिनकी आयु दिनाँक 01 जुलाई, 2020 को 5^{+} वर्ष हो, उन्हें प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा-1 में अनिवार्यतः प्रवेश कराया जायेगा।

12- बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा सर्वे के माध्यम से ऐसी किशोरी बालिकाओं का चिन्हीकरण किया जाता है, जो वर्तमान में विद्यालयों में नामांकित नहीं है। जिला

Scanned with CamScanner

कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा अपने जनपद से सम्बन्धित 11-14 आयु वर्ग की बालिकाओं की पता सहित सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इन बालिकाओं का नामांकन कराया जाये।

13- अमान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को प्रोत्साहित कर परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराया जाये। अमान्य विद्यालयों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

14- विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने हेतु ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबन्ध समिति, माँ समूह एवं स्थानीय राय निर्माताओं (ओपिनियन बिल्डर्स) का सहयोग प्राप्त किया जाये।

15- यदि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के भाई/बहन किसी विद्यालय में नामांकित नहीं है अर्थात आउट ऑफ स्कूल हैं तो शिक्षामित्र/अनुदेशक/अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा उनके माता-पिता से सम्पर्क कर इन बच्चों का नामांकन प्रत्येक दशा में विद्यालय में कराया जायेगा।

4. अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग:-

1- आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण एवं नामांकन के अनुश्रवण हेतु यूनिसेफ के सहयोग से शारदा पोर्टल एवं सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। शारदा पोर्टल का समस्त डाटा विभाग के प्रेरणा पोर्टल पर समाहित किया जायेगा।

2- प्रत्येक विकास खण्ड में ब्लाक संसाधन केन्द्र स्थापित तथा क्रियाशील है, जिनमें कम्प्यूटर एवम् इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि बस्तीवार आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामवार विवरण एवं नामांकन की प्रगति प्रतिदिन पोर्टल पर अपलोड करायेंगे जिसका नियमित अनुश्रवण निदेशक, बेसिक शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

3- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त के अतिरिक्त साप्ताहिक प्रगति निदेशक, बेसिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा को माह की 7, 14, 21 एवं 28 तारीख तक अनिवार्यतः ई-मेल से उपलब्ध करायी जायेगी।

4- निदेशक, बेसिक शिक्षा द्वारा जनपदवार नामांकन की पाक्षिक प्रगति अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन को माह की 16 एवं 01 तारीख को प्रेषित की जायेगी।

5. नव नामांकित बच्चों का विशेष प्रशिक्षण:-

1. विद्यालयों में नव नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आयुसंगत कक्षा में नामांकित कर उनके सीखने के स्तर तक लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। विशेष प्रशिक्षण हेतु संबधित विद्यालय के अध्यापकों /सेवानिवृत्त अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिसके उपरांत बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विशेष प्रशिक्षण हेतु बच्चों के लिए अधिगम सामग्री उपलब्ध करायी जाती है तथा बच्चों को संघनित पाठ्य पुस्तकें (कंडेंस्ड टेक्सट बुक्स), आदि उपलब्ध करायी जाती हैं। विद्यालय में नामांकन के उपरान्त इन बच्चों को अधिगम स्तर तक लाने हेतु आवश्यकतानुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जाये।

2. शहरी क्षेत्रों में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश

Scanned with CamScanner

संख्या: 585/78-2-2018/135आई0टी0/2017 दिनांक 05 सितम्बर 2018 के अनुसार विभागीय आवश्यकतानुसार यूपीडेस्को, यूपीएलसी, श्रीट्रान इंडिया लि0, तथा अपट्रान जैसी संस्थाओं को आबद्ध कर सहयोग प्राप्त किया जायेगा तथा आउटकम बेस्ड के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। ।

3. आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण के साथ-साथ कौशल विकास मिशन के सहयोग से कॉस्ट नोर्म्स के आधार पर बच्चों में कौशल विकसित करने का कार्य भी किया जायेगा। ।
4. विद्यालय में नामांकित सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए उनके उपलब्धि स्तर के अनुसार अनिवार्यतः विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा के निर्देशों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण का संचालन किया जाये।
5. विशेष प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त प्रधानाध्यापक/कक्षा अध्यापक द्वारा इन बच्चों का पुनः मूल्यांकन (एसेसमेंट) किया जाये और 01 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले नवीन शैक्षिक सत्र में इन बच्चों को आयुसंगत कक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाये।
6. विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जनपद स्तर पर जिला समन्वयक (प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे।

6. उपस्थिति एवं ठहराव :-

1. आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शिक्षा एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यदि इन बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं उनकी शिक्षण-अधिगम व्यवस्था पर समुचित ध्यान नहीं दिया जायेगा तो इन बच्चों के पुनः ड्राप आउट होने की प्रबल सम्भावना बनी रहेगी। अतएव, इन बच्चों की उपस्थिति का अनुश्रवण विशेष प्रशिक्षण हेतु नामित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा नियमित रूप से किया जाये।
2. यदि बच्चा लगातार एक सप्ताह तक अनुपस्थित रहता है तो सम्बन्धित शिक्षक द्वारा बच्चे के माता-पिता से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाये और बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया जाये।
3. इसके उपरान्त भी यदि बच्चा अनुपस्थित रहता है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा व्यक्तिगत प्रयास किया जाये। इसके उपरान्त भी यदि बच्चा उपस्थित नहीं होता है तो खण्ड शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाये जो अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
4. समस्त परिषदीय विद्यालयों में टेबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है और सभी बच्चों का डाटा बेस विकसित किया जा रहा है एवं बच्चों का आधार नामांकन किया जा रहा है। इस डेटा बेस के आधार पर टेबलेट के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति की ट्रैकिंग की जाएगी।

5. विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों की उपस्थिति पर विचार-विमर्श विशेष रूप से किया जाये और अनियमित रूप से उपस्थित रहने वाले बच्चों को, नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति का सहयोग लिया जाये। इस सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज़ की जाये तथा प्रेरणा एप के एस०एम०सी० गतिविधि माड्यूल पर सूचना अपलोड की जाये।
6. छात्र-छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों में अभिभावक-अध्यापक एसोसिएशन (पी0टी0ए0) गठित की जायें और बैठकें आयोजित की जायें जिनमें विद्यालय के अध्यापक द्वारा छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से बच्चे की उपस्थिति एवं उपलब्धि (अधिगम) स्तर के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाये। एसोसिएशन की बैठक त्रैमासिक रखी जाये, जो माह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी के द्वितीय सोमवार को निर्धारित होगी।
7. विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे बच्चों को अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रोत्साहित किया जाये ताकि अन्य बच्चों को प्रेरणा मिल सके। प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा इन बच्चों को विद्यालय में पुस्तकालय एवं खेल-कूद सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर दिये जायें। खेल-कूद हेतु आवश्यक उपकरण/सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा इस हेतु एक अध्यापक को प्रभारी नामित किया जाये।

7.अनुश्रवण में सुविधा हेतु कार्यक्रम का फ्लो-चार्ट निम्नवत् हैः-

<u>कार्यक्रम का फ्लो-चार्ट</u>

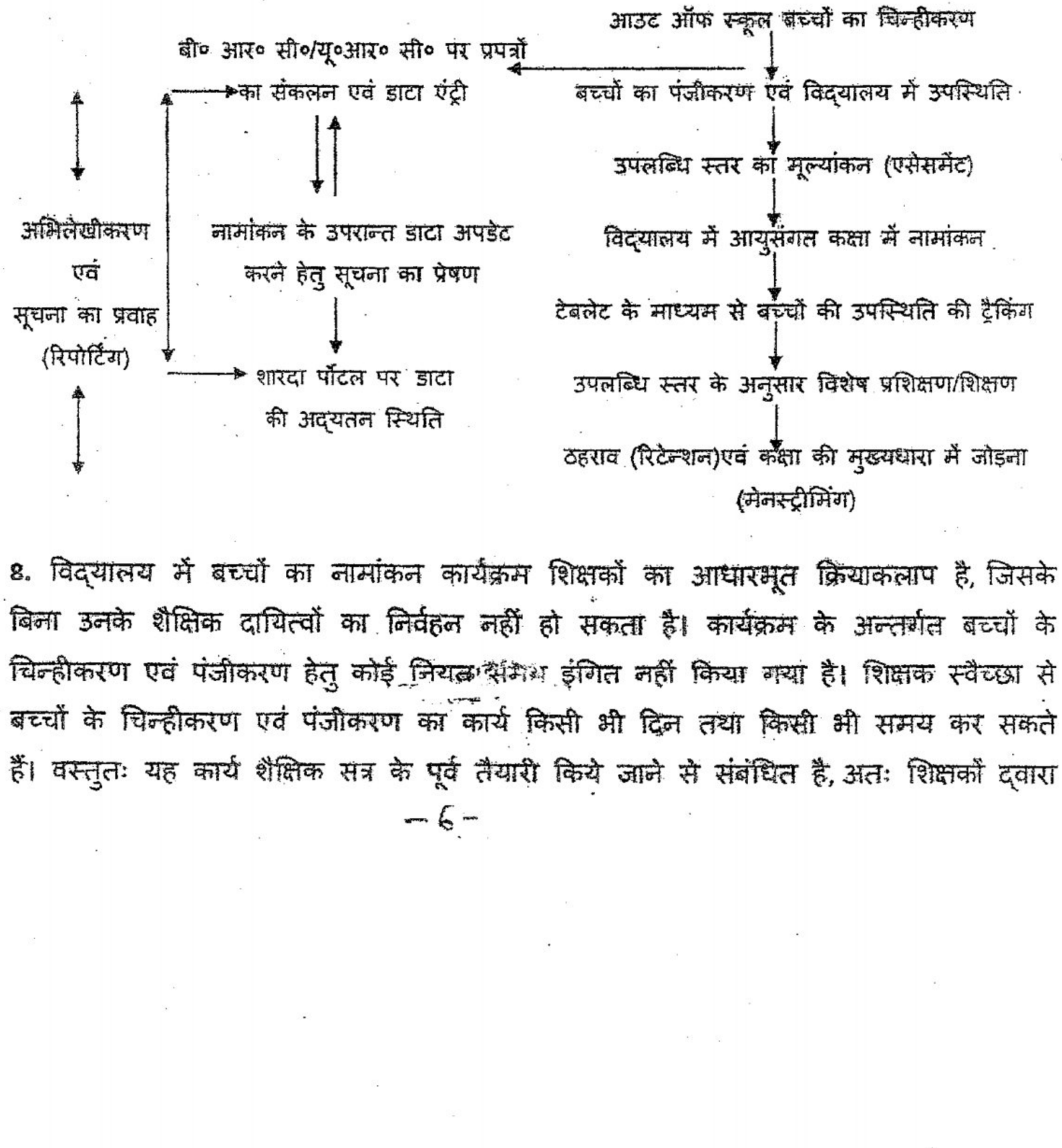

8. विद्यालय में बच्चों का नामांकन कार्यक्रम शिक्षकों का आधारभूत क्रियाकलाप है, जिसके बिना उनके शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन नहीं हो सकता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के चिन्हीकरण एवं पंजीकरण हेतु कोई नियत समय इंगित नहीं किया गया है। शिक्षक स्वैच्छा से बच्चों के चिन्हीकरण एवं पंजीकरण का कार्य किसी भी दिन तथा किसी भी समय कर सकते हैं। वस्तुतः यह कार्य शैक्षिक सत्र के पूर्व तैयारी किये जाने से संबंधित है, अतः शिक्षकों द्वारा

Scanned with CamScanner

इसे अतिरिक्त ड्यूटी नहीं माना जा सकता है और इसके बदले में उन्हें कोई अवकाश आदि देय नहीं होगा।

आपसे अनुरोध है कि उक्त विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नकःउक्तवत्।</u>

भवदीया,

28/1/2020

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनाँक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
2- श्रम आयुक्त,जी0टी0 रोड़, कानपुर नगर, उ0प्र0।
3- महा निदेशक स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4- शिक्षा निदेशक,(बेसिक), उ0प्र0 बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।
5- राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक,बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- निदेशक,समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9- निदेशक,राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निदेशक,दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
12- शिक्षा विशेषज्ञ, यूनीसेफ, लखनऊ, उ0प्र0
13- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
14- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उ0प्र0।
15- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
16- खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उ0प्र0।
17- गार्ड फाईल।

21/1/2020

21.1.2020

आज्ञा से

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

संलग्नक–1

विद्यालय में प्रवेश हेतु पंजीकरण फार्म

विवरण:

बालक/बालिका का नवीनतम फोटो

1. विद्यालय का नाम
2. विकास खण्ड का नाम
3. जनपद का नाम
4. बालक/बालिका का नाम
5. माता–पिता/अभिभावक का नाम व पता
6. बालक/बालिका की जन्म तिथि
7. दिनांक 1 अप्रैल, 2020 को आयु
8. बालक/बालिका के आधार कार्ड की संख्या (छायाप्रति सहित)
9. यदि बालक/बालिका का आधार कार्ड नहीं बना है तो माता अथवा पिता के आधार कार्ड की संख्या (छायाप्रति सहित)
10. बालक/बालिका के भाई/बहन के सम्बन्ध में विवरण:–

भाई का नाम	01.04.2020 को आयु	वर्तमान में किस कक्षा में नामांकन है	विद्यालय का नाम	यदि किसी विद्यालय में नामांकित नहीं है तो कारण

बहन का नाम	01.04.2020 को आयु	वर्तमान में किस कक्षा में नामांकन है	विद्यालय का नाम	यदि किसी विद्यालय में नामांकित नहीं है तो कारण

तिथि:

पंजीकरणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर
(प्रधानाध्यापक/अध्यापक/शिक्षा मित्र/अनुदेशक)

प्रति हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक का नाम एवं हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र

संलग्नक –2

वर्ष 2020–21

आयु वर्गः– 5^{+}-14 वर्ष

जनपद का नाम..... विकास खण्ड/जोन क्षेत्र का नाम..... ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....

न्याय पंचायत का नाम..... बस्ती/मजरे का नाम.....

क्र.सं	पिता का नाम	पता मकान नम्बर सहित	बच्चे का नाम	सामाजिक वर्ग (सामान्य/ अनु0जा0/ अ0ज0जा0/ अन्य पि0वर्ग/	बालक/ बालिका	आयु (1 अप्रैल 2020 को)	यदि बच्चा दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार (कोड भरें)	क्या बच्चा कभी भी विद्यालय में नामांकित नहीं हुआ? **(never enrolled)** (हाँ/नहीं)	यदि पूर्व में विद्यालय में नामांकन हुआ है तो पूर्ण की हुई अधिकतम कक्षा **(drop out)**	यदि वर्तमान में विद्यालय में नामांकन है तो क्या बच्चा 45 दिनों से निरन्तर अनुपस्थित है **(drop out)** (हाँ/नहीं)	विद्यालय न जाने का कारण (कोड भरें)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											

नोटः दिव्यांगता के प्रकार एवं विद्यालय न जाने के कारणों हेतु कोड संख्या अंकित करें। कोड सं0 के लिए संलग्नक–2 ए का संदर्भ लें।

सर्वेकर्ता का हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
विद्यालय का नाम

नाम व हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक

Scanned with CamScanner

आउट ऑफ स्कूल बच्चों के सर्वेक्षण हेतु कोड का विवरण

सलग्नक 2 ए

दिव्यांगता के प्रकार	
कोड	प्रकार
1	लोकोमोटर दिव्यांगता (Locomotor Disability)
2	कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ति (Leprosy Cured Person)
3	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (Cerebral Palsy)
4	बौनापन (Dwarfism)
5	बहुदुष्पोषण (Muscular Dystrophy)
6	अम्ल आक्रमण पीड़ित (Acid Attack Victim)
7	अन्धता (Blindness)
8	अल्प दृष्टिदोष (Low Vision)
9	वाक् श्रवण दिव्यांगता (Hearing Impairment)
10	वाक् भाषा दिव्यांगता (Speech & Language Disability)
11	बौद्धिक दिव्यांगता (Intellectual Disability)
12	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (Specific Learning Disability)
13	स्वलीनता (Autism Spectrum Disorder)
14	मानसिक रुग्णता (Mental Illness)
15	बहुस्क्लोरोसिस (Multiple Sclerosis)
16	हीमोफिलिया (Haemophilia)
17	थेल्सीमिया (Thalassemia)
18	सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease)
19	बहुदिव्यांगता (Multiple Disability)

विद्यालय न जाने के कारणों में निम्नलिखित का उल्लेख करें:-	
कोड	कारण
1	अपने घर के कार्यों में लगा रहना
2	कचरा बीनना/स्टेशन/बस स्टेशन आदि पर
3	घरेलू नौकर
4	ईंट भट्टों व खदानों में काम करना
5	गैराज/फैक्ट्री में काम करना
6	कृषि व्यवसाय
7	पुश्तैनी दस्तकारी
8	छोटे होटलों/ ढाबों में काम करना
9	भाई बहनों की देख भाल करना
10	विद्यालय दूर होने का कारण
11	कक्षा–कक्ष में छात्र संख्या अधिक होना
12	शिक्षक का व्यवहार अनुचित होना
13	पढाई में कठिनाई के कारण
14	बालविवाह
15	परिवार घुमन्तू होने के कारण
16	गरीबी के कारण
17	गंभीर दिव्यान्गता
18	पलायन
19	अन्य

Scanned with CamScanner

संलग्नक–3

शहरी क्षेत्र के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु दिशा–निर्देश

शहरी क्षेत्र के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण हेतु हाउस होल्ड सर्वे की रणनीति में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जायेगी।

1. शहरी क्षेत्रों के सभी वार्ड/जोन/बस्तियों में सर्वे का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अध्यापकों/गैर–सरकारी संस्थाओं, एवं अन्य संस्थाओं द्वारा नगर संसाधन केन्द्र पर बस्तीवार आउट ऑफ स्कूल बच्चों का विवरण संकलित किया जाये। नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा सूचना जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये।
2. नगर संसाधन केन्द्र पर वार्ड/जोन/बस्तीवार आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामवार विवरण शारदा पोर्टल पर सर्वे के उपरान्त 10 दिन के अन्दर अपलोड किया जाये।
3. चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराते हुए बच्चों का विवरण एकत्रित किया जाये तथा शारदा पोर्टल पर प्रथम चरण में नामांकित बच्चों का विवरण 30 अप्रैल तक एवं द्वितीय चरण में नामांकित बच्चों का विवरण 30 जुलाई तक नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा अपडेट कराया जाये।
4. शहरी क्षेत्र की बस्तियों में 5^+ आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जाये।
5. शहरी क्षेत्र की बस्तियों में बच्चों के नामांकन की जिम्मेदारी जिला समन्वयक (प्रशिक्षण तथा सामुदायिक सहभागिता) एवं नगर शिक्षा अधिकारी को दी जाये।

Scanned with CamScanner

मौसमी पलायन से प्रभावित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने के सम्बन्ध में।

पलायन एक बड़ी चुनौती है। पलायन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य कारणों से हो सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन में एक तरफ मुख्य चुनौती ऐसे बच्चें जो कभी नामांकित नहीं हुए हैं अथवा विद्यालय में नामांकित होते हुए भी अपने माता–पिता या परिवार के साथ 5 से 7 महीने के लिये पलायन कर जाते हैं, जिसके कारण वे स्कूली शिक्षा से वंचित रहते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अपने बच्चों के साथ राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर किसी अन्य जिलों में मौसमी पलायन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों के कई गरीब परिवार अपने बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न संगठित और गैर संगठित उद्योगों में काम करने के लिये आते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के कई जिले **इन माइग्रेशन** एवं आउट **माइग्रेशन** से प्रभावित हैं

इन माइग्रेशन (प्रवासन) एवं आउट माइग्रेशन (बाहर प्रवास) के क्षेत्र

इन माइग्रेशन (प्रवासन) के क्षेत्र अर्थात्, ऐसे क्षेत्र (जिले, ब्लॉक, गाँव) जहां से श्रमिक पलायन करके आते हैं, उन्हें पहचानने की आवश्यकता है।

- आउट माइग्रेशन (बाहर प्रवास) के क्षेत्र अर्थात्, उन क्षेत्रों का मानचित्र/नक़्शा बनाने की आवश्यकता है जहां निर्माण कार्य में सहयोग हेतु श्रमिक पलायन करके जाते हैं। चूंकि माइग्रेशन कृत्रिम रूप से निर्मित सीमाओं को परिभाषित करता है इसलिए विशिष्ट माइग्रेशन से प्रभावित क्षेत्रों (माइग्रेशन पॉकेट/बेल्ट) को चिह्नित करना होगा।
- उत्तर प्रदेश में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था मौसमी पलायन के कारण बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में विचार करना आवयश्यक है, जो बच्चे मौसमी पलायन करके किसी गांव में आते हैं वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे गांव से पलायन करके किसी अन्य स्थानों पर जाते हैं उनके बारे में कोई ठोस कदम उठाया जाना है। उत्तर प्रदेश में मौसमी पलायन से प्रभावित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने की प्रकिया को सुविधाजनक बनाने के लिये यह दिशानिर्देश तैयार किये गये है।

इन माइग्रेशन एवं आउट माइग्रेशन क्षेत्रों (गांव/विकास खण्ड/जिला) के लिये सुझावः

मौसमी पलायन से प्रभावित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिये उत्तर प्रदेश में आने व जाने वाले क्षेत्रों के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जाने हैं:–

- प्रत्येक स्कूल को मौसमी पलायन से प्रभावित बच्चों के लिये दो अलग–अलग रजिस्टर बनाने होंगे। "इन माइग्रेशन रजिस्टर एवं आउट माइग्रेशन रजिस्टर।" इन माइग्रेशन रजिस्टर में उन बच्चों का विवरण होगा जो किसी दूसरे स्थान से पलायन करके आ रहे हैं जबकि आउट माइग्रेशन रजिस्टर में उन बच्चों का विवरण होगा जो किसी दूसरे स्थान पर पलायन करके जा रहे हैं।

Scanned with CamScanner

इन माइग्रेशन करने वाले बच्चों का विवरण सम्बंधी प्रारुप (विद्यालयों स्तर पर):–

बच्चे का पूरा नाम	आधार नम्बर यदि उपलब्ध है	जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)	विद्यालय का नाम	गांव/ वार्ड का नाम	विकास खण्ड	उद्योग का प्रकार	पलायन की औसत अवधि (माह)	राज्य का नाम जहां से बच्चा पलायन करके आया है	जिला का नाम जहां से बच्चा पलायन करके आया है

आउट माइग्रेशन करने वाले बच्चों का विवरण सम्बंधी प्रारुप विद्यालयों स्तर पर):–

बच्चे का पूरा नाम	आधार नम्बर यदि उपलब्ध है	जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)	विद्यालय का नाम	गांव/ वार्ड का नाम	विकास खण्ड	उद्योग का प्रकार	पलायन की औसत अवधि (माह)	राज्य का नाम जहां बच्चा पलायन करके गया है	जिला का नाम जहां बच्चा पलायन करके गया है

- माह फरवरी में नये शैक्षणिक सत्र शुरु होने से पूर्व और दूसरी माह नवम्बर में जब अधिकांश पलायन हो रहा होता है तब विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक आयोजित की जाय। बैठकों में स्कूल द्वारा बनाये गये दोनों रजिस्टरों पर विचार करना है एवं नमूना के आधार पर आंकड़ों की प्रमाणिकता को सत्यापित करना है। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाये:–

(i) मौसमी पलायन के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या,

(ii) वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अनुपस्थिति की औसत अवधि,

(iii) आयु संगत कक्षा में नामांकन तथा विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता,

(iv) ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला शिक्षा कार्यालयों के लिये सुझाव।

Scanned with CamScanner

संलग्नक – 5

माइग्रेशन प्रमाण पत्र

TO WHOM IT MAY CONCERN

बच्चे का नवीनतम फोटो

छात्र विवरण

छात्र/छात्रा का नाम .....जन्म तिथि.....आयु.....

लिंग.....श्रेणी/वर्ग..... विद्यालय का नाम .....कक्षा.....

.पिता का नाम ..... माता का नाम .....

मूल निवास का पता

बस्ती/मोहल्ला..... ग्राम/वार्ड.....

विकास खण्ड/जोन..... जिला.....

प्रमाणित किया जाता है कि बच्चे के माता–पिता आजीविका हेतु जनपद का नाम ..... पलायन करके जा रहे हैं। अतः निकटस्थ विद्यालय में बच्चे को कक्षा के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक

Scanned with CamScanner

संलग्नक-6

समेकित शिक्षा: स्पेशल एजुकेटर/फिजियोथेरेपिस्ट/अध्यापकों द्वारा दिव्यांग बच्चों के आइडेंटिफिकेशन के लिए चेकलिस्ट

सं0	दिव्यांगता का विवरण
1	**लोकोमोटर दिव्यांगता (Locomotor Disability)**
1.1	क्या बच्चे को चलने में कठिनाई होती है अथवा चलने में या सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता होती है?
1.2	क्या बच्चे को अपने शरीर के किसी अंग अथवा हाथों का उपयोग करने या घुमाने में जैसे कि लिखने व खाना खाने में कठिनाई होती है?
1.3	क्या बच्चे में किसी प्रकार की विकृति दिखाई दे रही है जैसे कि हाथ, बाजु, पैर, रीढ़ व पीठ में कमी है?
1.4	क्या बच्चे के हाथ /पैर जन्म से नहीं है या किसी घटना से कट गये है?
2	**कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ति (Leprosy Cured Person)**
2.1	क्या बच्चे की मांसपेशियां कमजोर है या नियमित रूप से मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है?
2.2	क्या बच्चा पहले कुष्ठ रोग से ग्रसित था और अब ठीक हो गया है?
2.3	क्या बच्चे की त्वचा या शरीर के किसी हिस्से पर फीके दाग धब्बे हैं?
2.4	क्या बच्चे की हाथ या पैर की उंगलियां नहीं हैं?
3	**प्रमस्तिष्कीय पश्चाघात (Cerebral Palsy)**
3.1	क्या बच्चा के शरीर का समन्वय और संतुलन कमजोर है?
3.2	क्या बच्चे के अंगों में कठोरता या निष्क्रियता है या अंगों में झटकेदार चलन है या बच्चा अनैच्छिक (अनियंत्रित) रूप से चलता है?
3.3	क्या बच्चे को स्वयं सहायता कौशलों जैसे टॉयलेटिंग, हाथ धोने, खाना खाने, वस्तुओं को पकड़ने/रखने या पेपर काटने/ चिपकाने में समस्या होती हैं?
3.4	क्या बच्चे की आवाज़ स्पष्ट नहीं है या लार बहाता रहता है ?
4	**बौनापन (Dwarfism)**
4.1	क्या बच्चा अपनी उम्र की तुलना में लम्बाई में काफ़ी अधिक छोटा है?
4.2	क्या बच्चे का सिर अनुपातिक रूप से बड़ा है, पैर झुके हुए हैं या हाथ की उंगलियां व गर्दन छोटी है?
4.3	क्या बच्चे की छाती चौड़ी व गोल है?
4.4	क्या बच्चे की गर्दन छोटी है?
5	**बहुदुष्पोषण (Muscular Dystrophy)**
5.1	क्या बच्चा अक्सर चलते समय गिर पड़ता है एवं लेटे हुए या बैठे हुए होने पर उठने में परेशानी होती है?
5.2	क्या बच्चा चलते समय छोटे-छोटे कदम रखते एवं शरीर को घुमाते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ चलता है?
5.3	क्या बच्चे की मांसपेशियों में दर्द और जकड़न की शिकायत रहती है ?
5.4	क्या बच्चा अपने पैर की उंगलियों के सहारे चलता है?
6	**अम्ल आक्रमण पीड़ित (Acid Attack Victim)**
6.1	क्या बच्चा एसिड हमले से उत्तरजीवी(एसिड अटेक के बाद जीवन-यापन कर रहा है) है?
6.2	क्या बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगो में गंभीर जले के निशान हैं और शरीर विकृति से भी ग्रसित है।

Scanned with CamScanner

6.3	क्या बच्चे के ऊपर एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंकने से शरीर कुरुपित (डरावना) लगता है?
7	**अन्धता (Blindness)**
7.1	क्या बच्चा अपनी दोनों आँखों का उपयोग करके कुछ भी नहीं देख सकता है?
7.2	क्या बच्चे की दोनों आँखें एक जैसी नहीं हैं, या आखों में भेंगापन हैं?
7.3	क्या बच्चा हरे-नीले या लाल-हरे रंगों के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं है?
7.4	क्या बच्चे को धुंधला दिखाई देता है या स्पष्ट दिखाई नहीं देता है?
8	**अल्प दृष्टिदोष (Low Vision)**
8.1	क्या बच्चे को धीमी रोशनी की स्थिति में देखने में कठिनाई होती है अथवा बच्चा रोशनी/ प्रकाश के स्रोत की ओर जाने में आसानी महसूस करता है?
8.2	क्या बच्चा बार-बार अपनी आँखों को झपकाता है, रगड़ता है, आँखों में जलन महसूस करता है, या प्रायः सिरदर्द के बारे में बताता है?
8.3	क्या बच्चा पढ़ते समय पुस्तक को बहुत दूर या बहुत पास रखता है?
8.4	क्या बच्चा पढ़ते समय आँखों को बंद करता है, ढकता है अथवा पास की बस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित करता है ?
9	**वाक् श्रवण दिव्यांगता (Hearing Impairment)**
9.1	क्या बच्चा संबोधन करने या बुलाने पर जवाब नहीं देता है?
9.2	क्या बच्चा अपने कान को वक्ता की दिशा की ओर मोड़ता है या बातचीत के दौरान जानबूझकर वक्ता के चेहरे को देखता है?
9.3	क्या बच्चा बोलते समय असामान्य रूप से तेज स्वर का प्रयोग करता है या अक्सर शब्द बोलने में भूलता है?
9.4	क्या बच्चे को वातावरण की ध्वनियों को सुनने में मुश्किल होती है, जैसे कि स्कूल की घंटी, लोगों के बुलाने की आवाज़ अथवा उसे शोरगुल से हैरानी होती हैं?
10	**वाक् भाषा दिव्यांगता (Speech & Language Disability)**
10.1	क्या बच्चा शब्दों या शब्दों के हिस्सों को दोहराता है या संक्षिप्त, खंडित वाक्यांशों को बोलता है?
10.2	क्या बच्चा बोलते समय हकलाता या तुतलाता है या स्पष्ट नहीं बोलता है?
10.3	क्या बच्चा को वाक् ध्वनियों की नकल करने में कठिनाई होती है? उदाहरण के लिए जब बच्चे को "चम्मच" बोलने के लिए कहा जाता है तो वह "तम्मच" बोलता है?
10.4	क्या बच्चा वाक्य को गलत क्रम में बोलता हैं? उदाहरण के लिए " आकाश नीला है" के स्थान पर "नीला आकाश है"
11	**बौद्धिक दिव्यांगता (Intellectual Disability)**
11.1	क्या बच्चे को दूसरों के साथ संवाद करने या सामाजीकरण में कठिनाई होती है?
11.2	क्या बच्चा अध्यापक द्वारा दिये गये निर्देशों / अनुदेशों या क्लास वर्क या होम वर्क को नहीं कर पता है या बिना किसी की सहायता के शौचालय का उपयोग नहीं कर पता है?
11.3	क्या बच्चा अक्सर बिना अनुमति के कक्षा से बाहर चला जाता है, अपनी बारी के बिना बोलता है और कक्षा में व्यवधान डालता रहता है?

Scanned with CamScanner

11.4	क्या बच्चे द्वारा अध्यापक से सफलतापूर्वक सीखी गई चीज़ों के बारे में बताने या करने में उसे कठिनाई होती है? जैसे कि वह कॉपी में जोड़ कर लेता है, लेकिन यह बताने में असमर्थ है कि 5 केले और 3 आम मिलाकर कुल कितने फल होते हैं?"
12	**विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (Specific Learning Disability)**
12.1	क्या बच्चे का पर्याप्त अभ्यास व प्रयास के बाद भी हस्तलेखन खराब है? जिसके कारण उसकी लेखनी को आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है ?
12.2	क्या बच्चे को अध्यापक द्वारा कई बार पढ़ाने के बाद भी पहले से सीखे हुए शब्दों, विराम, चिह्न, वर्तनी या व्याकरण के प्रयोग में उसे कठिनाई होती है?
12.3	क्या बच्चा को दिशा बोध (बाएं-दाएं, ऊपर-नीचे या आगे-पीछे) नहीं है?
12.4	क्या बच्चा लिखते समय संख्याओं, प्रतीकों, अक्षरों या शब्दों को अक्सर उल्टा लिखता है, जैसे कि 66 के स्थान पर 99 या M के स्थान पर W आदि लिखता है?
12.5	क्या बच्चे को गणितीय प्रतीकों जैसे +, -, x व ÷ को समझने में कठिनाई होती है?
13	**स्वलीनता (Autism Spectrum Disorder)**
13.1	क्या बच्चा अपनी आवाज में गुंजन (इको) करता है या शब्दों व वाक्यों को दोहराता है? जैसे कि यह पूछे जाने पर कि, **आपका नाम क्या है?** तो वह अपना नाम बताने के बजाय दोहराता है कि,आपका नाम क्या है?
13.2	क्या बच्चे को सहकर्मी, समूह में, सहपाठियों के साथ बातचीत करने में एवं खेलने में कठिनाई होती है?
13.3	क्या विद्यालय में बच्चे की दिनचर्या में अचानक बदलाव (जैसे कि कक्षा कक्षा, शिक्षक, समय सारिणी व बैठक व्यवस्था में परिवर्तन) कर देने से बच्चे को मुश्किल होती है?
13.4	क्या बच्चा प्रायः हाथ फड़फड़ाना, सिर हिलाना, उंगली और शरीर हिलाना आदि क्रियाएं करता है?
13.5	क्या बच्चा गिनती पढ़ने में सक्षम है? जैसे 1से100 तक गिनती गिन लेता है परन्तु मांगने पर दो पैंसिल या तीन पेन नहीं दे सकता है?
13.6	जब अध्यापक कक्षा में सभी बच्चों को कहानी सुनाता है तो बच्चा कहानी सुनने में दिलचस्पी नहीं लेता है? जबकि अन्य सभी बच्चे कहानी को उत्सुकता से सुनते हैं।
14	**मानसिक रुग्णता (Mental Illness)**
14.1	क्या बच्चा प्रायः उदास दिखाई देता है, भीर मिज़ाज में रहता है या उसे ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है?
14.2	क्या बच्चा अधिकांशतः सिरदर्द और पेटदर्द की शिकायत करता है?
14.3	क्या बच्चे में अक्सर आत्मघाती विचार आते हैं या स्वयं को नुकशान पहुँचाने वाली गतिविधियों में लिप्त रहता है? जैसे कि स्वयं के शरीर में काटना या शरीर के किसी अंग को जलाना आदि।
14.4	क्या बच्चा बिना किसी विशेष कारण के भय की तीव्र भावनाओं को प्रकट करता है?
14.5	क्या बच्चा वास्तविकता से अलग दिखाई देता है और काल्पनिक दुनियाँ में खोया रहता है जैसे कि काल्पनिक दोस्तों से बातें करना।
15	**बहुस्क्लोरोसिस (Multiple Sclerosis)**
15.1	क्या बच्चे में कपकपाहट होती है, जिससे मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन या शिथिलता है?
15.2	क्या बच्चा बोलने में स्पष्ट उच्चारण नहीं करता है, जैसे कि शब्दों के खराब उच्चारण, गुनगुनाना, या बात करने के दौरान गति या लय में बदलाव लाता है?

Scanned with CamScanner

15.3	क्या बच्चा चेहरे, हाथ, पैर और अंगुलियों में पिन और सुई की चुभन महसूस करता हैं?
15.4	क्या बच्चा गर्दन घुमाने/हिलाने के समय इलेक्ट्रिक-शॉक लगने जैसी संवेदनाओं के बारे में अनुभूति व्यक्त करता है?
16	**हीमोफिलिया (Haemophilia)**
16.1	क्या बच्चे के चोट लगने/ घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है या बारबार बिना किसी कारण के असामान्य रूप से नाक व मसूड़ों से रक्त निकलता है ?
16.2	क्या बच्चे को टीकाकरण के बाद असामान्य मात्रा में रक्तस्राव होता है?
16.3	क्या बच्चा पीड़ादायक और लंबे समय तक सिरदर्द होने के बारे में बताता है?
16.4	क्या बच्चा बहुत सुस्त दिखाई देता है?
17	**थैल्सीमिया (Thalassemia)**
17.1	क्या बच्चा प्रायः रक्त आधान(खून चढ़ने हेतु) के लिए अस्पताल जाता रहता है?
17.2	क्या बच्चे के पेट, हाथ व पैर में सूजन है या उसे लगातार बुखार रहता है?
17.3	क्या बच्चे की त्वचा फीकी या पीली है?
17.4	क्या बच्चा असामान्य कमजोरी व थकान के बारे में बताता है?
18	**सिकल सेल रोग(Sickle Cell Disease)**
18.1	क्या बच्चे में अस्पष्ट रूप से गंभीर दर्द होता है?
18.2	क्या बच्चे के पेट में अधिकांश समय सूजन रहती है?
18.3	क्या बच्चे की त्वचा पीली है?
18.4	क्या बच्चे को अक्सर बुखार या अन्य कोई संक्रमण रहते है?
19	**बहुदिव्यांगता (Multiple Disability)**
19.1	क्या बच्चे में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या संवेदी (देखने व सुनने आदि) अंगों में संयुक्त रूप से विकृति है?
19.2	क्या बच्चा दो या दो से अधिक दिव्यांगताओं से प्रभावित हैं? जैसे कि सुनने-बोलने व देखने में कठिनाई (डेफ ब्लाइंड) एवं सुनने-बोलने व सोचने-समझने में कठिनाई(डेफ एम0आर0) आदि।
19.3	क्या बच्चे की बुद्धि लब्धि सामान्य नहीं है व चलन फिरने में दिक्कत है? (ओर्थो-एम0आर0)

नोट: उपरोक्त में से यदि किसी दिव्यांगता के अंतर्गत दो या दो से अधिक प्रश्नों का उत्तर **हाँ** में है तो-

(1) बच्चे को सम्बंधित दिव्यांगता की श्रेणी में चिन्हित कर **'समर्थ'** एप/ शारदा वेबपोर्टल में डाटा एंट्री की जायेगी।

(2) चिन्हित आउट ऑफ़ स्कूल बच्चे का विद्यालय में नामांकन कराकर **'समर्थ'** एप में भी डाटा एंट्री की जायेगी।

(3) विद्यालय में नामांकित बच्चे की स्क्रीनिंग, रेफरल व उपचार आदि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा कराया जायेगा।

सर्वेक्षणकर्ता का नाम:	**पदनाम:**
मोबाइल/फोन नं0:	**हस्ताक्षर व तिथि:**

Scanned with CamScanner